

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 401/19-20

3

विनोद उरैव आवेदक
बनाम

प्रतिमा उरैव विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती विनोद उरैव
पिता/प्रति शु. मंगरा उरैव निवास,
ग्राम खेलंगबिरा थाना बासिया जिला गुमला ने निम्नांकित
विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
खेलंगबिरा	बासिया 124	28	576	0.50 एकड़

(पचास डिग्रमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता
श्री/श्रीमती प्रतिमा उरैव पिता/पति सुलेन्द्र उरैव
निवासी ग्राम खेलंगबिरा थाना बासिया जिला
गुमला को राशि रुपये 2,50,000/- (दो लाख रुपये मात्र) पर
बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इल्मज
हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे है।
अंचलाधिकारी बासिया को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी बासिया के कार्यालय के
पत्रांक 14 दिनांक 20/5/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति

4
 प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदमी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के उरीत है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी बासिया के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती विनोद उरीत पिता/पति राम मंगरा उरीत निवासी ग्राम सोलंगविरा थाना बासिया जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>सोलंगविरा</u>	<u>बासिया 124</u>	<u>28</u>	<u>576</u>	<u>0.50 एकड़</u>

(निवृत्त पंचायत डिसमील)

चौहदी - उत्तर- नीम विक्रेता
 पूरब- लार मं 570

दक्षिण- नीम क्रेता
 पश्चिम- गन्दुर मिठो

लेखापित एवं संशोधित

सुधाकर
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।

सुधाकर
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।